कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा)रायगढ़ (छ०ग०)

फोन नं. व फैक्स 07762– 222153 ईमेल actw.raigarh@gmail.com / actd.raigarh@nic.in

क्रमांक/3091 /आ.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2024–25 रायगढ़, दिनांक 31/12/2024

// सूचना प्रकाशन //

वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑन–लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (12वी से उच्चतर) हेतु ऑन–लाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की सूचना

रायगढ़ जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है, कि शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन/आवेदन,स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in** वेबसाइड पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत संस्थाओं द्वारा ऑन–लाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :–

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
01	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईल आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण हेतु)	01.01.2025 से 31.01.2025 तक
02	ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु	01.01.2025 से 15.02.2025 तक
03	स्वीकृति आदेश करने की तिथि	01.01.2025 से 28.02.2025 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही किये जावेंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल एवं स्वीकृति लॉक करने का अवसर भी प्रदान नही किया जावेंगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेट बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024–25 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप OTR की प्रविष्टि ऑन–लाईन आवेदन करते समय की जानी है। OTR की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेंगी।
3. वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Taggin किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Taggin नही किया जावेंगा। उक्त संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नही किया जावेंगा।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़, (छ०ग०)

पृ.क्रमांक/3092/आ.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2023–24 रायगढ़, दिनांक 31/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में 03 दिवस तक जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सर्व महाविद्यालय प्रमुख/प्राचार्य शासकीय/अशासकीय वि0विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

31/12/24
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़, (छ०ग०)

01/01/25
प्राचार्य
कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ - 496001(छ.ग.)